क्रमांक 3323115 / छ.ग. / 2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ–भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

दिनांक /06/2022

प्रति,

संचालक,
जन संपर्क संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **जल संसाधन विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति बाबत्।**

संदर्भ :–
1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3323115 / छ.ग. / 2019 / 2035 दिनांक 03.03.2022.
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3323115 / छ.ग. / 2019 / 2354 दिनांक 11.03.2022.
3. विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के समीप सिविल लाईन, रायपुर का पत्र क्रमांक विरोका / स्थाप / 2022 / 124 दिनांक 13.06.2022

****

विषयांतर्गत कार्यालयीन उक्त संदर्भित पत्र 01 एवं 02 के तहत तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) बैकलॉग के 18 पद एवं उप अभियंता (सिविल) नियमित के 382 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजनों के प्रवर्गवार (Category wise) आरक्षित पदों के स्थान पर संदर्भित पत्र 03 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शुद्धि पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

नोडल अधिकारी / अधीक्षण अभियंता
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

पृष्ठांकन क्रमांक 3323115 / छ.ग. / 2019 / 5699 **रायपुर, दिनांक 16 / 06 / 2022**

प्रतिलिपि :–
1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया व्यापमं के वेबसाईड में शुद्धि पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।
3. नोडल अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया विभाग की वेबसाईड में शुद्धि पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

नोडल अधिकारी / अधीक्षण अभियंता
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, शिवनाथ–भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

–:: शुद्धि पत्र ::–

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/2035 दिनांक 03.03.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 2354 दिनांक 11.03.2022 द्वारा (1) उप अभियंता (सिविल) (बैकलॉग पद) 18, (2) उप अभियंता सिविल (नियमित पद) 382, रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से भरे जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

उप संचालक, विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के समीप सिविल लाईन, रायपुर का पत्र क्रमांक/विरोका/स्थाप/2022/124 दिनांक 13.06.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त जारी विज्ञापन में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों का (कालम 13, 14, 15 एवं 16) में अंकित वर्गवार पदों के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. जारी विज्ञापन के रिक्त पदों का विवरण (1) बैकलॉग रिक्तियॉ :–उपअभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की संख्या–18 के (कॉलम–13, 14, 15 एवं 16) में अंकित "अनारक्षित–0, अनुसूचित जाति–01, अनुसूचित जनजाति–03, अन्य पिछड़ा वर्ग–01" के स्थान पर "05 पद **(OA,OL और HH)** प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. जारी विज्ञापन के रिक्त पदों का विवरण (2) नियमित रिक्तियॉ :– उप अभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की संख्या–382 के (कालम 13, 14, 15 एवं 16) में अंकित क्रमशः "अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 03, अनुसूचित जनजाति 09, अन्य पिछड़ा वर्ग 04" के स्थान पर 27 पद **(OA, OL और HH)** प्रतिस्थापित किया जाता है।

विज्ञापन की शेष विवरण, नियम, शर्ते/कंडिका यथावत् रहेंगी।

नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियंता
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु)

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के समीप सिविल लाईन, रायपुर छ.ग.

दूरभाष क्र.–0771–4044081 ईमेल specialofficeryp@gmail.com

क्रमांक / विरोका / स्थाप / 2022 / 124 रायपुर दिनांक 13 / 06 / 2022

प्रति

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छ.ग.
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लाक सेक्टर 19
नवा रायपुर,अटल नगर

विषयः– आपके द्वारा दिनांक 11.03.2022 को विज्ञापित उप अभियंता सिविल पद में दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज परीक्षण का प्रतिवेदन।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / विरोका / स्थाप / 103, रायपुर दिनांक 01.06.2022

उपरोक्त विषय में, इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा लिखित में सूचित करके, आपके द्वारा दिनांक 17.02.2022 को विज्ञापित उप अभियंता सिविल पद में, दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों की गणना संबंधी अभिलेख तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ13–4 / 2019 / आ.प्र / 1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.03.2011 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये निधार्रित आरक्षण रोस्टर पंजी का प्रारूप परिशिष्ट 01 का परीक्षण किया–

क्र.	पद का नाम	परीक्षण दिनांक	रिमार्क
01	उप अभियंता सिविल, नियमित पद	07.06.2022	विज्ञापन दिनांक 11.03.2022

निरीक्षण में आपके कार्यालय के स्थापना शाखा के प्रभारी सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ13–14 / 2009 / आ.प्र / 1–3 रायपुर दिनांक 04.12.2012 द्वारा, दिनांक 29.11.2012 के अनुसार, उप अभियंता सिविल पद के सीधी भर्ती के पद के लिये 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर पंजी संधारित किया गया है लेकिन छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–4 / 2019 / आ.प्र / 1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.03.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये निधार्रित आरक्षण रोस्टर पंजी का प्रारूप परिशिष्ट 01 में संधारित नहीं किया गया है।

इस कार्यालय के निरीक्षण अधिकारी द्वारा आपके कार्यालय के स्थापना शाखा के प्रभारी को दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ20–04 / 2014 / आ.प्र / 1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 और छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ13–4 / 2019 / आ.प्र / 1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.03.2019 के प्रावधानों से विस्तार से अवगत कराया गया।

आपके कार्यालय द्वारा उप अभियंता सिविल (नियमित पद) के लिये के, दिनांक 17.02.2022 को 382 रिक्तियों के लिये विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ13–4 / 2019 / आ.प्र / 1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक

05.03.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये 07 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके अनुसार इनके लिये 27 रिक्तियाँ विज्ञापित किया गया है।

आपके कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त विज्ञापन में, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ20–04/2014/आ.प्र/1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 और छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ13–4/2019/आ.प्र/1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.03.2019 के निम्न प्रावधानों में विसंगति पाया गया है:–

01. दिव्यांगजनों के लिये विज्ञापित 27 रिक्तयों को प्रवर्गवार (Category Wise) विज्ञापित किया गया है जबकि सामान्य प्रशसन विभाग के पत्र दिनांक 05.03.2019 के कंडिका (3) में दिव्यांगजनों को उनके श्रेणी के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान हैं। दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2014 के कंडिका 11(ख) एवं पत्र दिनांक 05.03.2019 के कंडिका (4) में, दिव्यांगजनों के लिये 7 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिये 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के प्रत्येक चक्र को खंडों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक खंड में बिन्दु संख्या .... से बिन्दु संख्या .... तक संबंधी प्रावधान है। इसका तात्पर्य यही है कि दिव्यांगजनों के रिक्तियों को प्रवर्गवार विज्ञापित नहीं किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2014 के **कंडिका 15 (निःशक्त व्यक्तियों के लिये हॉरिजेन्टल आरक्षण)** के प्रावधानों से भी स्पष्ट है कि दिव्यांगजनों की रिक्तियाँ प्रवर्गवार विज्ञापित नहीं होंगी।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–4/2019/आ.प्र/1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.03.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये निधार्रित आरक्षण रोस्टर पंजी का प्रारूप परिशिष्ट–01 के टीप में भी यह प्रावधान है कि इस पंजी के कॉलम नं 08 में उल्लेखित "आरक्षित" शब्द का तात्पर्य दिव्यांगजनों के समूह (क)/(ख)/(ग)/(घ) एवं (ड़) से है।

सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा इस संबंध में प्रमुख सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को प्रेषित, पत्रक्रमांक 1538 रायपुर दिनांक 21.02.2018 में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि निःशक्तजनों के लिये विज्ञापित किये जाने वाले पद वर्गवार(अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित) न होकर निःशक्तजनों के श्रेणीवार(दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित एवं श्रवणबाधित) आरक्षित रहेगी (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)

02. आपके कार्यालय द्वारा, उपरोक्त विज्ञापन में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित 27 रिक्तियों को, 27(OA,OL,HH) के रूप में कॉलम नं 17 में दर्शाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05.03.2019 के कंडिका (3) में दिव्यांगजनों के 07 प्रतिशत आरक्षण को उनके समूह के अनुसार 02–02–02 एवं 01 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2014 के **कंडिका 12(क)**, में यह प्रावधान है कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की तीनों श्रेणियों के

184

लिये अलग–अलग आरक्षण होगा। उपरोक्त पत्र के ही कंडिका क्रमांक (4) में, एक अथवा दो श्रेणियों के लिये उपयुक्त चिन्हांकित किये गये पदों में श्रेणीवार आरक्षण की गणना संबंधी प्रावधान है। इस पत्र के ही कंडिका 11(छ) में, 01 अथवा 02 खंड आने की स्थिति में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के किस श्रेणी को समायोजित किया जायेगा, इसके संबंध में प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निःशक्तजनों के लिये विज्ञापित 27 रिक्तियों में 13 रिक्ति एक श्रेणी के लिये तथा 14 रिक्ति के दूसरे श्रेणी के लिये होगा।

13/6/2022

डॉ.(श्रीमती) शशीकला अतुलकर
उपसंचालक, रोजगार
विशेष रोजगार कार्यालय
(दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर

पृ.कमांक/विरोका/स्थाप/2022/ रायपुर दिनांक 13/06/2022

प्रतिलिपि–

1 संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक--4 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को इस कार्यालय के पत्र कमांक–104–1 दिनांक 01.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

13/6/2022

डॉ.(श्रीमती) शशीकला अतुलकर
उपसंचालक, रोजगार
विशेष रोजगार कार्यालय
(दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर

(125)

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

........................0........................

क्रमांक /5677/2017/रो.वि./42 नया रायपुर, दिनांक /02/2018

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग.शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

विषयः— छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिये निर्धारित आरक्षण का शासकीय विभागों द्वारा पालन नही किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 20—4/2014/आ.प्र./1—3 दिनांक 27.09.2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिये आरक्षण नियम जारी किये गये है। उक्त ज्ञापन में यह प्रावधान है कि निःशक्तजनों के लिए विज्ञापित किये जाने वाले पद वर्गवार (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित) न होकर निःशक्त जनों के श्रेणीवार 2—2 प्रतिशत रिक्तियाँ (दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित) आरक्षित रहेगी।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन के बिन्दु क्र. 15 में निःशक्त व्यक्तियों के लिये निर्धारित होरिजेन्टल आरक्षण के संबंध में निर्देश तथा बिन्दु क्र. 21 में विज्ञापित पदों में निःशक्तजनों के लिये आरक्षित रिक्तियों को उनके श्रेणीवार (दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित) संख्या स्पष्ट दर्शाये जाने का प्रावधान है।

3/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को विभिन्न विभागों द्वारा शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार निःशक्तजनों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किए जाने का निर्देश दिया जाना उचित होगा।

अतएव छत्तीसगढ़ राज्य में निःशक्त उम्मीदवारों के हितार्थ सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

हस्ता०
(शहला निगार)
सचिव
छ0ग0 शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

186

..2..

पृ. क्रमांक 15[illegible] स्था. 2017/से.वि./42 नया रायपुर, दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपि—

1. सचिव, छ.ग.शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
3. उप संचालक, रोजगार, विशेष रोजगार कार्यालय(निःशक्तजनों के नियोजन हेतु) रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

छ0ग0 शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–32/2012/तक.शि/42
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 3_/01/2018

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषय:– दिव्यांगजनों के लिए विज्ञापित पदों की सूचना विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजनों के नियोजन हेतु) रायपुर को भिजवाने तथा इनसे संबंधित अभिलेखों के परीक्षण बाबत्।

संदर्भ:– दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995।

—————0—————

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के धारा 34 एवं 35 में विशेष रोजगार कार्यालय के कार्य एवं शक्ति के संबंध में प्रावधान है। धारा–34 में यह प्रावधान है। कि प्रत्येक शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अपने स्थापना के उन रिक्तियों के बारे में जो दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित है। उसकी जानकारी तथा उन पदों पर नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन की प्रतिलिपि विशेष रोजगार कार्यालय को भिजवायेगा। धारा 35 में यह प्रावधान है कि विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा लिखित रूप से सूचना देकर किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के स्थापना के दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज की जाँच कर सकेगा। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 36 में भी विशेष रोजगार कार्यालय एवं उसके कार्य शक्ति के संबंध में प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजनों के नियोजन हेतु) स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई है। वर्तमान में विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय, राजभवन के पास में संचालित है।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने स्थापना के उन रिक्तियों के बारे में जो दिव्यांगजनों के नियोजन से संबंधित हैं उसके लिये जारी विज्ञापन की प्रतिलिपि विशेष रोजगार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

छ0ग0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वाय.पी.दुपारे)
अवर सचिव
छ0ग0शासन
कौशल विकास, तक. शिक्षा
एवं रोजगार विभाग